(1)

कार्यालय मुख्य कर्मीदल नियंत्रक
प्राप्ती दि. 02/07/2024
नागपुर /Nagpur
Office of Chief Crew Controller

Smokhos
Pl. act accordingly
Biwa...
02/07/2024
CCC/NGP

मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय

संरक्षा विभाग

नागपुर

क्रमांक/NGP/SFT.101.Z संरक्षा निर्देश/ 05/2024-25 दिनांक : 27.06.2024

सभी संबंधित

नागपुर मंडल

संरक्षा निर्देश संख्या : 05/2024-25

विषय: मानसून संबंधी सावधानियां ।

मानसून 2024 जल्द ही आ रहा है और इसलिए डिविजन को सलाह दी जाती है कि वे आईआरपीडब्ल्यूएम , अध्याय "रेलवे लाइन की गश्त "और अध्याय "पूर्व-मानसून एहतियाती उपाय" में निहित पर्याप्त मानसून संबंधी सावधानियां और आवश्यक कार्रवाई करें। पर्याप्त मानसून भंडार जैसे कि **रिलिविंग स्पान** आईआरबीएम के पैरा 709 और आईआरपीडब्ल्यूएम के पैरा 1125 के अनुसार बोल्डर ,रेत/खदान की धूल को उपयुक्त स्थान पर जमा किया जाए और उचित स्टेशनों पर वैगनों में लोड किया जाए। मानसून गश्त और संवेदनशील पुलों/स्थानों की सुरक्षा पर विस्तृत दिशानिर्देश जारी करने की सलाह दी जाती है। उपयुक्त स्थानों पर रेत/खदान की धूल से भरे पर्याप्त बैग उपलब्ध रहें ताकि आपातकालीन स्थिति में इसे तत्काल वैगनों में लोड किया जा सके।

राज्य सरकार के साथ संयुक्त रूप से निरीक्षण करें और यदि कोई कमी हो तो उसे राज्य सरकार के माध्यम से पूरा किया जाए। खराब मौसम की चेतावनी प्राप्त करने के लिए संबंधित मेट्रोलॉजिकल सेंटर से व्यवस्था करें इसमें उच्च वेग वाली हवाएं और चक्रवात के साथ-साथ भारी वर्षा भी शामिल होनी चाहिए । जलाशयों/बांधों से अतिरिक्त पानी छोड़े जाने की वास्तविक समय पर निगरानी के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए रखें ताकि समय की हानि के बिना रेलवे संरचना की पर्याप्त सुरक्षा की जा सके।

निरीक्षण:

- सभी जल निकासी नालियों और साइड नालियों को गाद और अन्य अवरोधों से साफ किया जाना चाहिए।
- यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि बाढ़ के पानी की निकासी के लिए पूरा जलमार्ग उपलब्ध हो।
- ट्रैक पर जमाव को रोकने के लिए नियमित अंतराल पर क्रॉस नालियां उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
- सेस पर अप्रयुक्त सामग्री को हटाया जाना चाहिए।

- उचित जल निकासी की सुविधा के लिए सेस स्तर उपयुक्त है।
- उच्च बाढ़ स्तर) एचएफएल (पूर्ण आपूर्ति स्तर) एफएसएल (और खतरे के स्तर) डीएल/ किया जाना खतरे के स्तर को चमकीले लाल रंग से चित्रित किया जाना चाहिए।
- पुल मैनुअल में निर्दिष्ट अनुसार महत्वपूर्ण पुल पर फ्लड गेज को पेंट किया जाएगा।
- मानसून से पहले सभी रेन गेज का निरीक्षण किया जाना चाहिए, और सुनिश्चित करें कि वे सही कार्यशील स्थिति में हों।

ट्रैक सर्किट विफलताओं से बचने के लिए की जाने वाली कार्रवाई:

- उचित जल निकासी सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि बारिश के दौरान ट्रैक पर पानी भरने से बचा जा सके ,खासकर यार्ड में ,जहां कोचों में पानी भरा जाता है।
- पूरे ट्रैक सर्किट वाले खंड में गिट्टी को साफ रखा जाना चाहिए और इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि पैरा 17.28 के अनुसार प्रति किलोमीटर ट्रैक पर न्यूनतम गिट्टी प्रतिरोध स्टेशन यार्ड में 2 ओम प्रति किमी और ब्लॉक सेक्शन में 4 ओम प्रति किमी से कम नहीं होना चाहिए।" सिग्नल इंजीनियरिंग मैनुअल" के अनुसार।
- पीएसी स्लीपर ट्रैक पर ,न्यूनतम 97% स्तर तक इंसुलेटेड लाइनर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।

प्रारंभिक व्यवस्थाएँ:

- एडीईएन और डिईएन द्वारा संयुक्त रूप से संवेदनशील स्थानों/किलोमीटरों की समीक्षा की जानी चाहिए।
- संवेदनशील स्थानों का रजिस्टर अद्यतन होना चाहिए।
- जिन अनुभागों पर मानसून के दौरान गश्त की जानी है ,उनकी पहचान सीनियर डीईएन और डीईएन द्वारा की जानी चाहिए। उन्हें मानसून गश्त के लिए वर्ष की अवधि भी निर्धारित करनी चाहिए।
- प्रत्येक वर्ष गश्ती चार्ट की विस्तृत समीक्षा की जाय।
- गश्ती चार्ट का वितरण सही ढंग से किया जाए।
- गश्ती दल एवं चौकीदार के लिए बुद्धिमान ,अनुभवी एवं विश्वसनीय व्यक्तियों का चयन करना चाहिए।
- सभी गश्ती दल को कार्यशील स्थिति में जीपीएस ट्रैकिंग उपकरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
- मुख्यालय पर मोटर ट्रॉली एवं स्पेयर ट्रॉली तैयार रखी जाय।
- आपातकालीन स्थिति में निर्दिष्ट स्थानों पर खदान की धूल ,गिट्टी ,खाली सीमेंट बैग आदि का आरक्षित स्टॉक उपलब्ध होना चाहिए।

मानसून के दौरान की जाने वाली कार्रवाई:

A. असामान्य वर्षा के दौरान गैंग गश्त :

दिन या रात के दौरान असामान्य वर्षा या तूफान की स्थिति में ,मेट को अपनी पहल पर ,प्रभावित क्षेत्र में गश्त का आयोजन करना चाहिए ,अन्य गश्त से प्रबंध कर ,यदि कोई हो। भारी वर्षा की स्थिति

में इस गश्ती दल को अपने निरीक्षण को खतरे के ज्ञात बिंदुओं तक सीमित रखना चाहिए ,जैसे कि कटाव या पुलियों के खराब होने की संभावना ,टैंकों से प्रभावित बैंकों के टूटने की संभावना और पुल के दृष्टिकोण। तेज़ हवाओं के मामले में ,गश्ती दल को पेड़ आदि के गिरने से ट्रैक की लंबाई खराब होने की संभावना का निरीक्षण करना चाहिए।

B. **मानसून के दौरान रात्रि गश्त -:**

मानसून के दौरान ,रेलवे लाइन के कुछ चिन्हित खंडों पर ,जैसा कि निर्दिष्ट किया जा सकता है ,बाढ़ से होने वाली क्षति ,जैसे कि दरारें ,निपटान ,फिसलन और खरोंच का पता लगाने के लिए गश्त की जानी चाहिए और ट्रेनों की सुरक्षा के लिए तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए ,जब आवश्यक हो। खतरे के चिन्हित स्थान पर मोबाइल पेट्रोलमैन के अलावा ,स्थिर चौकीदार को तैनात किया जाना चाहिए।

जब पानी गिट्टी के ऊपर और रेल स्तर से नीचे बढ़ जाए ,तो प्रत्येक ट्रेन से पहले ट्रैक की जाँच की जानी चाहिए।

नए अनुभाग खोले गए/ब्रिज/आर यू बी कार्य स्थलों के लिए विशेष निर्देश जिन्हें 2023 के मानसून के बाद पूरा किया गया:

उन स्थानों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए जहां 2023 के मानसून के बाद आरयूबी ,आरसीसी बॉक्स/पाइप डालने और अन्य प्रकार के पुलों का काम किया गया है क्योंकि इनमें से कुछ स्थान 2024 के मानसून के दौरान परेशानी पैदा कर सकते हैं। निम्नलिखित सावधानियाँ इन जगहों पर बरती जानी चाहिए:

- इन स्थानों पर बोल्डर ,गिट्टी ,खदान की धूल ,रेत ,मूरम आदि जैसी आवश्यक भराव सामग्री पर्याप्त मात्रा में रखी जानी चाहिए ,ताकि किसी भी सेटलमेंट पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। इन सामग्रियों को इस प्रकार रखा जाना चाहिए कि इससे ट्रैक के क्रॉस ड्रेनेज पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
- नवनिर्मित पुलों/आरयूबी के मार्गों पर उचित जल निकासी सुनिश्चित की जानी चाहिए ,ताकि पानी का जमाव न हो।
- मानसून की शुरुआत से पहले विभिन्न सुरक्षा कार्यों जैसे विंग दीवारें ,रिटर्न दीवारें ,पर्दे की दीवारें ,फर्श पिचिंग आदि को पूरा करना सुनिश्चित करें।
- इन सभी स्थानों पर मानसून के दौरान स्थल स्थिति के अनुरूप गश्ती दल/स्थिर चौकीदार की नियुक्ति कर कड़ी निगरानी रखी जाय।

विजय पाण्डेय 27.5.2024

वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी

नागपुर

प्रतिलिपी -/	मंडल रेल प्रबंधक	कृपया जानकारी के लिए प्रस्तूत।
प्रतिलिपी-/	अपर मंडल रेल प्रबंधक(प्रशासन))	कृपया जानकारी के लिए प्रस्तूत।
प्रतिलिपी -/	अपर मंडल रेल प्रबंधक(तकनीकी)	कृपया जानकारी के लिए प्रस्तूत।